This is a digitally signed gazette, to verify click here.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, शुक्रवार 1 जुलाई, 2011 / 10 आषाढ़, 1933**

### हिमाचल प्रदेश सरकार

### हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 30 जून, 2011

**सं0: वि0स0–विधायन–समिति गठन / 1–15 / 2008.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2011–12 के लिए गठित सदन की समितियों में रिक्तियों को भरने हेतु आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति / सदस्य नामांकित किया है:–

1. डॉ0 रामलाल मारकण्डा, सदस्य के स्थान पर श्री संजय चौधरी, सदस्य को लोक लेखा समिति का सदस्य नामांकित किया।

2. डॉ0 रामलाल मारकण्डा, सदस्य को लोक उपक्रम समिति का सभापति नामांकित किया।

3. श्री संजय चौधरी, सदस्य को कल्याण समिति से हटाया गया।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

————————

## लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जून, 2011

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ–(5) 43 / 2010.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव काबगड़ी, तहसील व जिला सोलन में सोलन–राजगढ़ बाई पास सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू––अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू––अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–बिस्वा) |
|---|---|---|---|---|
| सोलन | सोलन | काबगड़ी | 3 / 1 | 1–0 |
| | | | 4 / 1 | 0–5 |
| | | | 87 / 1 | 0–14 |
| | | | 86 / 1 | 0–3 |
| | | | 314 / 88 / 1 | 0–12 |
| | | | 89 / 1 | 0–2 |
| | | | 267 / 90 / 1 | 0–4 |
| | | | 266 / 90 / 1 | 0–3 |
| | | | 181 / 92 / 1 | 0–6 |
| | | | 180 / 92 / 1 | 0–9 |
| | | | 179 / 92 / 1 | 0–8 |
| | | कुल जोड | किता –11 | 4–6 |

हस्ताक्षरित / –
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जून, 2011

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ–(5) 97 / 2009.**–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव शामती, तहसील व जिला सोलन में सोलन–राजगढ़ बाई पास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

| जिला | तहसील | गाांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–बिस्वा) |
|---|---|---|---|---|
| सोलन | सोलन | शामती | 11 / 2 | 0–3 |
| | | | 12 / 2 | 1–3 |
| | | | 17 / 2 | 1–3 |
| | | | 35 / 1 | 0–5 |
| | | | 35 / 3 | 0–1 |
| | | | 36 / 1 | 0–2 |
| | | | 36 / 3 | 0–6 |
| | | | 37 / 1 | 0–11 |
| | | | 381 / 39 / 1 | 0–7 |
| | | | 38 / 1 | 0–13 |
| | | | 40 / 1 | 0–7 |
| | | | 41 / 1 | 0–9 |
| | | | 33 / 1 | 1–0 |
| | | | 34 / 1 | 1–5 |
| | | | 42 / 1 | 0–11 |
| | | | 43 / 1 | 0–6 |
| | | | 92 / 1 | 0–7 |
| | | | 89 / 1 | 0–9 |
| | | | 90 / 1 | 0–2 |
| | | | 115 / 1 | 0–4 |
| | | | 114 / 1 | 0–16 |
| | | | 107 / 1 | 0–12 |
| | | | 141 / 106 / 1 | 0–11 |
| | | | 140 / 106 / 1 | 0–12 |
| | | | कुल जोड़ किता –24 | 11–15 |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जून, 2011

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ–(5) 97 / 2009.**–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव देवथल उप–सम्पदा महलोग एवं देवथल उप–सम्पदा तवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में नैना टिक्कर डिलमन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–बिस्वा) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | पच्छाद | देवथल उप–सम्पदा महलोग | 180 / 1 | 0–1 |
| | | | 180 / 2 | 0–8 |
| | | | 183 / 1 | 0–1 |
| | | | किता–3 | 0–10 |
| सिरमौर | पच्छाद | देवथल उप–सम्पदा तवा | 28 / 1 | 0–4 |
| | | | किता–1 | 0–4 |
| | | कुल जोड़ | किता–4 | 0–14 |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

————————

## स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 22 जून, 2011

**संख्याः 1–58 / 69–फिन{एल0ए0} पार्ट{4}.**–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1–58 / 69–फिन {एल0ए0} पार्ट {4} तारीख 30 अक्तूबर, 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**{1} इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति {प्रथम संशोधन} नियम 2011 है ।

{2} ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

**2. उपाबन्ध–''क'' के स्तम्भ 4 का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध –''क'' में,

{क} स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''{i} नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः
पे बैण्ड : 10300–34800 रूपये ग्रेड पे,
14590 रूपये के प्रारंभिक आरम्भ सहित।
{ii} संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14100 / –रूपये प्रतिमास।''

**3. उपाबन्ध–''क'' के स्तम्भ 7{क} का संशोधन.–**उपाबन्ध ''क'' के विद्यमान स्तम्भ संख्या 7 {क} के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''7{क} अनिवार्य अर्हताः–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन {बिजनेस एडमिन्स्ट्रशन} में द्वितीय श्रेणी में स्नातक ।''

**4. उपाबन्ध–''क'' के स्तम्भ 10 का संशोधन.–**उपाबन्ध 'क' के विद्यमान स्तम्भ 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''10 {i} नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । संविदा कर्मचारी स्तंभ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगें ।

{ii} दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर ''

**5. उपाबन्ध–''क'' के स्तम्भ 11 का संशोधन.–**उपाबन्ध 'क' के विद्यमान स्तम्भ 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

सामान्य लिपिक संवर्ग {काडर} के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवा काल होः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद {पदों} की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक {I} उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग {काडर} में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण I.**–उपर्युक्त परन्तुक{I} के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

**स्पष्टीकरण II.**–उपर्युक्त परन्तुक {I} के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें:–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(ख) (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक {पोषक} पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु यह उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगें ।

**स्पष्टीकरण.**–अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोविलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

**6. उपाबन्ध–''क'' के स्तम्भ 15–क का संशोधन.**–उपाबन्ध 'क' के विद्यमान स्तम्भ 15–क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

**'15–क'** (संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन)

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति या नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

**(I) संकल्पना.**–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में कनिष्ठ लेखा परीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार / नवीकरण करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकरण / विस्तार किया जाएगा।

**(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**–निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां.**–संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक को 14100 / –रूपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड़ के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430 / –रूपये की रकम {पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत} वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.**–निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया.**–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार.**–अभ्यर्थी को, चयन के पष्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन और शर्तें.–**(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/–रूपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/–रूपए { पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत} की वृद्धि का हकदार होगा और कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड़) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0–एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगें ।''

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव {वित्त}।

———————

उपाबन्ध–''ख''

**कनिष्ठ लेखा परीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप**

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा

गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .. .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार / नवीकरण के लिए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकरण / विस्तार किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100 / —रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप 'प्रथम पक्षकार' और 'द्वितीय पक्षकार' ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :–
1 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :–
1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

*(Authoritative English Text of this Notification No.1-58/69-Fin (LA) Part (4), dated……as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India. )*

## LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 22th June, 2011*

**No.1-58/69-Fin (LA) Part (4).—** In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No.1-58/69-Fin (LA) Part (4), dated 30- 10-2008, namely:—

**1. Short title and Commencement.—** These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department Junior Auditor Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of column 4 of Annexure-'A'.—**In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh, Local Audit Department Junior Auditor, Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008:—

(a) for the existing provision against column No.'4' the following shall be substituted, namely:—

(i) Pay Band for Regular incumbents:-`10300- 34800+Grade Pay Rs. 3800 with initial start of 14590.

(ii) Emoluments for Contract Employees: `14100/- per month as per details given in Col.No.-15- A.

**3. Amendment of column 7(a) of Annexure-'A'.—**The existing column 7 (a) of Annexure 'A' the following shall be substituted namely:—

'7(a)' **ESSENTIAL QUALIFICATION:**

Class Graduate in Commerce or Economics or Business Administration from the recognized University.

**4. Amendment of column 10 of Annexure-'A'.—**For the existing column '10' of Annexure 'A' the following shall be substituted namely:

'10' (i) 90% by direct recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis.

**5. Amendment of column 11 of Annexure-'A'.—** For the existing column '11' of Annexure 'A' the following shall be substituted,namely:

By promotion from amongst the incumbents of the common clerical cadre with ten years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**Explanation I.—**For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

**Explanation II.—**For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. Distict Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

B (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

In all cases where a Junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**EXPLANATION:—**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex–servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

**6. Amendment of column 15-A of Annexure 'A'.—** he existing column 15-A of Annexure 'A' the following shall be substituted, namely:—

**'15-A'** (Selection for appointment to the post by contract appointment ):—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

**(I) CONCEPT.—**(a) Under this policy, the Junior Auditor in Local Audit Department, H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year, basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

**(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.S.S.S.B.—**The Director, Local Audit Department, H. P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(a) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed, in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—** The Junior Auditor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14100/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade pay.)An amount of Rs. 430/-(3% of the minimum of pay band +grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—**The Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if consider necessary or expedient by written test, or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEMNTS.—** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

**(VI) AGREEMENT.—** After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.**— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount i.e. @ 14100/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay.) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 430/-(3% of minimum of the pay band+ grade pay ) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given .

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointment on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whichever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary (Finance).

---

**Annexure "B"**

**Form of contract/agreement to be executed between the Junior Auditor and the Government of Himachal Pradesh through Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh.**

This agreement is made on the _____ day of _____ in the year _____ between Sh//Smt. _____ S/o D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh (hereinafter, the SECOND PARTY) Whereas, the second party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Auditor on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Auditor for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of Contractperiod on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.14100/- per month.

3. The service of FIRST PARY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Junior Auditor will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Junior Auditor. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Auditor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whichever require on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

---

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**
**KEONTHAL COMMERCIAL COMPLEX, KHALINI, SHIMLA-171002**

NOTI FICATION

*Shimla, the 30th June, 2011*

**No.HPERC/Secy./RPB/021-Vol.V-PAO/AJ/KD/2011-1155-62.—**In exercise of the power conferred by section 87 of the Electricity Act,2003 (Act No.36 of 2003) read with the subregulation (2) of regulations 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations,2004 and in partial modification of this office notification No.HPERC/Secy./PC /021-Vol.IV-PAO/JSR/KD/2010- dated 23/06/2010, published in Rajpatra Himachal Pradesh dated 05th August 2010, the H.P. Electricity Regulatory Commission hereby nominates the Joint Secretary, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi as a member to the State Advisory Committee and his term of office shall be coterminous with the term of office of other Committee Members nominated under regulation 3(2) of the aforesaid regulations.

*By order,*
*-Sd/-*
*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित